

(भारत सरकार का उपक्रम)

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन : L65910DL1986GOI024862

पंजीकृत कार्यालय : ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली - 110001 टेलीफोन : +91 11 23456000, फैक्स : +91 11 23412545, ईमेल आईडी : investorsgrievance@pfcindia.com

वेबसाइट : www.pfcindia.com

हाजिरी पर्ची

कृपया बैठक हाल में प्रवेश के लिए यह पर्ची अपने साथ लाएं और इसे प्रवेश द्वार पर सौंप दें।

में / हम इसके द्वारा मंगलवार, 19 मार्च 2019 को पूर्वाह्न 10:30 बजे डॉ. एसआरकेवीएस आडिटोरियम (डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑडिटोरियम), केन्द्रीय विद्यालय नंबर 2, एपीएस कालोनी के पास, गुडगांव रोड, दिल्ली छावनी, नई दिल्ली- 110010 में आयोजित की जा रही कंपनी की असाधारण आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूं / कराते हैं।

क्रम संख्या : _____

Name and Registered Address of the
एकल / प्रथम नामित सदस्य का नाम एवं पंजीकृत पता :

संयुक्त सदस्य (सदस्यों), यदि कोई हो, का नाम :
पंजीकृत फोलियो नंबर / डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी नंबर :
धारित शेयरों की संख्या :
प्रॉक्सी / प्रतिनिधि का नाम :

सदस्य / प्रॉक्सी / अधिकृत प्रतिनिधि के
हस्ताक्षर

धारक का नाम	फोलियो / डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी नंबर	शेयरों की संख्या

सदस्य कृपया ध्यान दें

सदस्य कृपया नोट करें कि कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के अनुसरण में ई-वोटिंग के प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के विवरण नीचे दिए गए हैं। ई-वोटिंग के लिए विस्तृत अनुदेश असाधारण आम बैठक के नोटिस में प्रदान किए गए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के विवरण

ईवीईएन (ई-वोटिंग इवेंट नंबर)	प्रयोक्ता आईडी	पासवर्ड / पिन

टिप्पणी : कृपया नोटिस में उल्लिखित ई-वोटिंग के अनुदेशों का अनुसरण करें।

(भारत सरकार का उपक्रम)

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन : L65910DL1986GOI024862

पंजीकृत कार्यालय : ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली -

110001 टेलीफोन : +91 11 23456000, फैक्स : +91 11 23412545, ईमेल आईडी

: investorsgrievance@pfcindia.com वेबसाइट : www.pfcindia.com

प्रॉक्सी फार्म

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) तथा कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में)

सदस्य (सदस्यों) का नाम :

पंजीकृत पता :

मैं / हम, जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्य हैं तथा कंपनी के शेयरों के धारक हैं, इसके द्वारा

- नाम : ईमेल आईडी :
पता : हस्ताक्षर : या उसके न आने पर
- नाम : ईमेल आईडी :
पता : हस्ताक्षर : या उसके न आने पर
- नाम : ईमेल आईडी :
पता : हस्ताक्षर :

को मंगलवार, 19 मार्च 2019 को पूर्वाह्न 10:30 बजे डॉ. एसआरकेवीएस आडिटोरियम (डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आडिटोरियम), केन्द्रीय विद्यालय नंबर 2, एपीएस कालोनी के पास, गुडगांव रोड, दिल्ली छावनी, नई दिल्ली- 110010 में आयोजित की जा रही कंपनी की असाधारण आम बैठक में तथा ऐसे संकल्प के संबंध में इसके किसी स्थगन पर मेरे / हमारे लिए तथा मेरी / हमारी ओर से भाग लेने और मतदान करने (मतदान होने पर) के लिए मेरे / हमारे प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूं / करते हैं, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र. सं.	संकल्प	पक्ष	विपक्ष
विशेष कार्य			
1.	<p>संबद्ध पक्षकार लेनदेन को अनुमोदित करना</p> <p>"संकल्प किया जाता है कि यह देखते हुए कि लेनदेन को ग्रहण विनियम के विनियम 10 (1) (क) (iii) के तहत खुला प्रस्ताव करने की आवश्यकता से छूट होगी, कंपनी अधिनियम की धारा 188 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधानों / नियमों, यदि कोई हो, तथा अन्य लागू अधिनियमों / विनियमों के तहत प्रावधानों / नियमों के भी अनुसरण में इसके द्वारा कंपनी को भारत के राष्ट्रपति, जो विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, के साथ प्रबंध नियंत्रण सहित आरईसी लिमिटेड में भारत सरकार के 1,03,93,99,343 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य जो निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों के साथ कंपनी द्वारा नियुक्त मूल्यांकक से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, जो ग्रहण विनियम के विनियम 10(1) (क) के तहत 25 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा से अधिक नहीं होगा, सेबी (पर्याप्त अधिग्रहण एवं ग्रहण) विनियम, 2011 (ग्रहण विनियम) के विनियम 8 और 10 (1) (क) के अनुसरण में अधिग्रहण करने के लिए संबद्ध पक्षकार लेनदेन करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है।</p> <p>"यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी का निदेशक मंडल (निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से गठित कोई समिति या निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित कोई प्राधिकरण सहित) इसके द्वारा उक्त संबद्ध पक्षकार लेनदेन को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे सभी कार्य, क्रिया एवं कृत्य जिसे वे अपने परम विवेक के अनुसार आवश्यक समझें, करने के लिए अधिकृत हैं और होगा जिसमें कीमत, मात्रा, प्रतिफल, प्रीमियम, अग्रिम या अन्यथा आदि सहित भुगतान की शर्तों का निर्धारण करने</p>		

	वाले शेयर खरीद करार, अन्य करारों, घोषणाओं तथा दस्तावेजों पर बातचीत करना, अंतिम रूप देना एवं हस्ताक्षर करना शामिल है परंतु इतने तक ही सीमित नहीं है।"		
--	--	--	--

आज दिनांक 2019 को हस्ताक्षरित

शेयरधारक के हस्ताक्षर प्रॉक्सी धारक (धारकों) के हस्ताक्षर

(उपयुक्त मूल्य का रसीदी टिकट लगाएं)

टिप्पणियां :

1. प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी का यह फार्म विधिवत रूप से भरा होना चाहिए, मुहर लगी होनी चाहिए और असाधारण आम बैठक आरंभ होने से कम से कम 48 घंटा पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।
2. आम बैठकों पर सचिवीय मानक 2 के खंड 6.4.1 के अनुसरण में प्रॉक्सी धारक बैठक में शामिल होने के समय अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।